लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462023

दूभाष क्र–0755–2583650 ईमेल–cpibhop@nic.in

क्रमांक / समग्र / 2020 / 1702 भोपाल, दिनांकः 13 मई 2020

प्रति,

1. संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण समस्त संभाग।
2. जिला शिक्षा अधिकारी
   समस्त जिले।

विषयः– सत्र 2019–20 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों को प्रोन्नत (जनरल प्रमोशन) किये जाने के संबंध में।

––00––

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में सत्र 2019–20 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. प्रदेश के समस्त शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय :–

1.1 सत्र 2019–20 के कक्षा 9वीं एवं 11वीं के परीक्षा परिणाम दिनांक 23 मार्च 2020 को घोषित किये गये है।

1.2 वर्तमान में संक्रमण की गंभीरता को देखते हुये आने वाले समय में सत्र 2019–20 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा में पूरक पात्रताधारी विद्यार्थियों को इस अप्रत्याशित संक्रमण काल में प्रोन्नत कर उत्तीर्ण घोषित किया जाए।

1.3 पूरक पात्रताधारी विद्यार्थियों को यथास्थिति में कक्षा 9वीं से कक्षा 10वीं तथा कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं में प्रवेश मान्य किया जाए ताकि विद्यार्थी अगली कक्षा की तैयारी एकाग्रचित होकर प्रारंभ कर सके।

1.4 कृपया सभी स्कूलो को सूचित करें कि ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा फल प्रगति पत्रक/अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र में वार्षिक परीक्षा परिणाम के समक्ष निम्नांकित आशय की टीप **पृथक रंग की स्याही** के पेन से/सील द्वारा अंकित करते हुए प्राचार्य/संकुल प्राचार्य की पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर किये जायें।

1.5 पूरक पात्रताधारी विद्यार्थी जिन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है उन्हें इस संबंध में सूचित कर उन्हें अगली कक्षा के व्हाट्सएप्प ग्रुप **DigiLEP** में जोड़ें तथा उन्हें अगली कक्षा की पढ़ाई हेतु प्रेरित करें।

2. प्रदेश के ऐसे अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय :–

2.1 जिनमें सत्र 2019–20 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 19.03.2020 अथवा उससे पूर्व ही संपन्न हो चुकीं हैं तथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करें। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं तथा कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में प्रोन्नत कर प्रवेश मान्य करें।

2.2 जिन विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाऐं संपन्न होने के उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे विद्यालय पूरक पात्रताधारी कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को शासकीय विद्यालयों हेतु पैरा 1 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की कार्यवाहीं सुनिश्चित करेंगें।

2.3 ऐसे विद्यालय जहाँ कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाऐं संपन्न नहीं हो सकीं हैं उनमें कक्षा 9वीं एवं 11वीं अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाये।

2.4 परीक्षाफल पत्रक, प्रगतिपत्रक, स्थानांतरण प्रमाणपत्र में निम्नानुसार अंकित कर पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर करें।

"Covid 19 संक्रमण बचाव के दृष्टिगत अगली कक्षा में प्रोन्नत"

तदनुरूप कार्यवाही हेतु कृपया समस्त विद्यालयों को सूचित कर पालन करवाना सुनिश्चित करें।

13/5/20

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/समग्र/2020/1703 भोपाल, दिनांक: 13 मई 2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आदिम जाति कार्य विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ ।
4. कलेक्टर समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ ।
5. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ।
6. जिला परियोजना समन्वयक प्रारंभिक शिक्षा/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सेकेण्डरी एजुकेशन (समग्र शिक्षा अभियान) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
7. समस्त प्राचार्य/शाला प्रमुख/शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय/ विद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

13/5/20

आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.